

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वन एवं वन्य जीव विभाग,
ए-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002.

अतारंकित प्रश्न संख्या : 117
दिनांक :- 03.12.2019
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री विजेंद्र गुप्ता

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र. संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि बवाना- नरेला फ़्लाइओवर- कम-रोड ओवर ब्रिज के निर्माण में पर्यावरण विभाग की स्वीकृति रुकी होने के कारण निर्माण कार्य में बाधा आ रही है;	बवाना- नरेला फ़्लाइओवर- कम- रोड ओवर ब्रिज के निर्माण से संबन्धित वृक्ष हटाने के दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त प्रस्ताव मंत्री स्तर पर सक्रिय विचाराधीन हैं ।
(ख)	पर्यावरण मंत्री को इससे संबन्धित फ़ाइल कब प्राप्त हुई और उस पर क्या निर्णय लिया गया;	
(ग)	यदि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो इसके क्या कारण हैं;	
(घ)	क्या यह भी सत्य है कुछ पेड़ों के रास्ते में आने के कारण स्लैब नहीं डाले जा पा रहे हैं;	
(ड)	क्या यह भी सत्य है कि फ़्लाइओवर की निर्माण एजेंसी डीडीए द्वारा 30 एकड़ का भूखंड दिल्ली सरकार को वृक्षारोपण के लिए दिया गया है;	जी नहीं, प्रस्तावित वृक्षारोपण चूंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं करना है अतः वर्णित भूखंड दिल्ली विकास प्राधिकरण के आधिपत्य में है ।
(च)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार को 55 हजार रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से क्षतिपूर्ति राशि दे दी है; और	जी नहीं, प्रस्ताव अनुमति पश्चात क्षतिपूर्ति राशि मांग पत्र भेजा जा सकेगा ।
(छ)	दिल्ली सरकार की ओर से वृक्ष काटने की अनुमति कब तक मिल जाएगी?	उत्तर (क) (ख) (ग) (घ) में वर्णित है ।


Dy. Conservator of Forests (HQ)
Department of Forests & Wild Life
Govt. of N.C.T. of Delhi
A-Block, IInd Floor, Vikas Bhawan
I.P. Estate, New Delhi-110002